रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, वीरवार, अगस्त 31, 1989/भाद्र 9, 1911
No. 460] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 1989/BHADRA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1989

सा. का. नि. 798 (अ) :--केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पोर्ट न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1989 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी आर--12013/3/89--पी ई I]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

दिनांक

सं. जी ए/पी एस/3917:--कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (1) के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम 1964 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

1. ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1989 कहे जायेंगे।

2. संशोधन

कांडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 के विद्यमान विनियम 3 के उप विनियम (8) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाए:--

"(8) कोई भी कर्मचारी :--

(1) पोर्ट के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य नहीं करेगा।

(2) स्वीकृत अवकाश अथवा अनुमति के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(3) कार्य की उपेक्षा नहीं करेगा अथवा कार्य के निष्पादन में धीमे काम करने सहित अन्य किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेगा।

(4) अनुशासन अथवा अच्छे आचरण के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा।

(5) दुराचरण को दुष्प्रेरित करने वाला कार्य अथवा दुष्प्रेरित करने का प्रयत्न नहीं करेगा।

(6) "कार्य के संबंध में" अकेले हो अथवा दूसरों के साथ मिल कर अनधीनता अथवा अवज्ञा नहीं करेगा।

आ. स. केलकर, सचिव

पाद टिप्पणी :—

1. मुख्य विनियम का सा. का. नि. संख्या 303

2. संशोधन विनियम 1979 सा. का. नि. संख्या 535 दिनांक 26-4-80 (दिनांक 26-4-1980 को अधिसूचना संख्या पी डब्ल्यू/पी ई के-- 52/79 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित)

3. संशोधन विनियम 1980 (दिनांक 14-1-1981 की अधिसूचना संख्या पी डब्ल्यू/पी ई के/25/80 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित)

4. संशोधन विनियम 1987

सा. का. नि. संख्या 944 (ई) दिनांक 17-12-87

(दिनांक 17-12-87 के पत्र संख्या पी आर -- 12013/4/87-- पी ई-1 के अनुसार सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Parts Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1989

G.S.R. 798(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Conduct) Amendment Regulations, 1989 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12013|3|89-PE.I]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

Dated............

No. GA|PS|3917.—In pursuance of Sub-Section (i) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following amendment in the Kandla Port Employees (Conduct) Regulations, 1964 in exercise of the powers conferred by Section 28 of the said Act, namely:—

1. These Regulations shall be called the Kandla Port Employees (Conduct) Amendment Regulations, 1989.

2. Amndment.

The following may be added as sub-regulation (8) of the existing Regulation 3 of Kandla Port Employees (Conduct) Regulation, 1964 :—

"(8) No employee shall,

(i) Act in a manner prejudicial to the interest of the Port.

(ii) Be absent without sanctioned leave or permission.

(iii) Neglect work or show negligence in the performance of work including slowing down of work.

(iv) Commit any act which is subversive of discipline or of good behaviour.

(v) Abet or attempt to abet any act which amounts to misconduct.

(vi) Act in insubordination or disobedience either alone or in combination with others, "in relation to duties".

A. S. KELKAR, Secy.

FOOT NOTE

1. G.S.R. No. of the principal Regulation—303.

2. Amendment regulations 1979 G.S.R. No. and date 535 dated 26-4-1980. (Published in the Gazette vide notification No. PW|PEK-52|79 dated 26-4-1980).

3. Amendment regulations 1980 (Published in the Gazette vide notification No. PW|PEK|25|80 dt 14-1-1981).

4. Amendment Regulations 1987 G.S.R. No. 944(E) dated 17-12-87 (Published in the Gazette by the Government vide letter No. PR-12013|4|87-PE.I dated 17-12-1987).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989